महिला वित्त एवं विकास निगम की 80वीं संचालक मंडल की बैठक

महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बनेगा रिसोर्स पूल: मंत्री सुश्री भूरिया

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

महिला सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम उठाते हुए महिला वित्त एवं विकास निगम को नई कार्य संस्कृति और परिणामोन्मुखी भूमिका में लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम की 80वीं संचालक मंडल समिति की बैठक हुई। बैठक में जिसमें निगम की कार्यप्रणाली, लंबित प्रस्तावों, महिला रोजगार, कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में मंत्री सुश्री भूरिया ने स्पष्ट कहा कि महिला-बाल विकास विभाग का मूल उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन नहीं, बल्कि महिलाओं का वास्तविक आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण है। उन्होंने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्क-फोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए निगम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता का परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा।

संचालक मंडल की बैठक मे उपस्थित मंत्री एवं अन्य सदस्य।

शी-मार्ट कॉन्सेप्ट पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी

बैठक में यह भी तय किया गया कि महिला वित्त एवं विकास निगम अब केवल वित्तीय गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कौशल विकास, बाजार संपर्क, तकनीकी प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता को बढावा देने में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। मंत्री सुश्री भूरिया ने अन्य राज्यों में महिला वित्त विकास निगमों की कार्यपद्धति का अध्ययन कर बेहतर मॉडल अपनाने के निर्देश दिए। बैठक में शी-मार्ट कॉन्सेप्ट पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी गंभीर नाराजगी व्यक्त की गई। संचालक मंडल ने कहा कि अक्टूबर 2024 की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हो चुका था और यदि समय रहते इस पर कार्यवाही होती तो मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन सकता था। उल्लेखनीय है कि अब इसी प्रकार की अवधारणा को भारत सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया है। बैठक में निगम के सुदृढीकरण को लेकर पूर्व में प्रस्तावित च्चैनल पार्टनर'' व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मंत्री सुश्री भूरिया ने स्पष्ट किया कि निगम को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाते हुए केवल गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण संस्थानों और विशेषज्ञ एजेंसियों को ही जोडा जाए।

ये रहे उपस्थित

बैठक में प्च्म ळसवइंस स्पउपजमक के साथ हुए महत्वपूर्ण एमओयू की भी समीक्षा की गई। च्देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन'' के तहत यह पहल प्रदेश की युवा महिलाओं को वेतन आधारित रोजगार से जोडने की दिशा में बडा कदम मानी जा रही है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1.6 लाख महिलाओं को रोजगार से जोडना, 50 हजार महिलाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देना तथा 500 से अधिक कंपनियों में जेंडर डाइवर्सिटी प्रथाओं को बढावा देना है। मंत्री सुश्री भूरिया ने निगम के प्रशासनिक ढांचे में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए। संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि निगम के ऐसे कर्मचारी जो अन्यत्र अटैच हैं, उन्हें तत्काल नोटिस जारी किए जाएं तथा एक माह के भीतर मूल पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। बैठक में महिला बाल विकास, सचिव श्रीमती जी.वी. रश्मि, आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती निधि निवेदिता सहित महिला वित्त विकास निगम के अधिकारी मौजूद थे।

विभागों को दिए दिए निर्देश

मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि अकुशल एवं अर्द्ध-कुशल महिलाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों, उद्योगों और संस्थानों की मांग के अनुरूप रोजगार से जोडा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि निगम महिला श्रमिकों, कारीगरों और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित महिलाओं का रिसोर्स पूल विकसित करे, जिससे अप्रशिक्षित महिला वर्क-फोर्स उपलब्ध कराई जा सके।

झाबुआ पुलिस द्वारा थाना थांदला क्षेत्र में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

झाबुआ पुलिस द्वारा थाना थांदला क्षेत्र में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

पुलिस द्वारा जिले में जनजागरूकता एवं सामाजिक सुरक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से लगातार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 26 मई 2026 को च्जागरूकता अभियान'' के अंतर्गत महिला थाना एवं रक्षा सखी की संयुक्त टीम द्वारा थाना थांदला क्षेत्र में थांदला हाट, पीपली चैराहा, पुरानी मंडी में ग्रामीणजनों हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों को महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 तथा आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए युवाओं एवं ग्रामीणों को नशामुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के संबंध में जागरूक करते हुए उन्हें अपने बच्चों को कम से कम 12वीं कक्षा तक नियमित रूप से शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कम उम्र में बालक-बालिकाओं के विवाह नहीं करने एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की समझाइश दी गई। स्कूल छोड चुके बच्चों को पुनः विद्यालय भेजने के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। पुलिस टीम द्वारा साइबर अपराधों के बढते मामलों को देखते हुए ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी देते हुए डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी एवं एपीके फाइल डाउनलोड कर धोखाधडी करने जैसे साइबर अपराधों से सावधान रहने हेतु विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की समझाइश दी गई। साथ ही किसी भी प्रकार के नशा का सेवन कर वाहन न चलाने हेतु जागरूक किया गया। पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई कि यदि गांव, गली या मोहल्ले में कोई संदिग्ध अथवा अनजान व्यक्ति दिखाई दे अथवा किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी प्राप्त हो, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।

जनसुनवाई: पुलिस अधीक्षक ने में सुनीं जन-समस्याएं

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

जनता की समस्याओं को बिना किसी देरी के सुलझाने और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय झाबुआ में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान खुद पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार ने कमान संभालते हुए जिले के कोने-कोने से आए ग्रामीणों और फरियादियों की शिकायतों को बेहद संवेदनशीलता के साथ सुना।

मौके पर ही किया कई शिकायतों का निपटारा

जनसुनवाई में एसपी देवेन्द्र पाटीदार ने कई मामलों में तत्परता दिखाते हुए फोन के माध्यम से तुरंत निराकरण कराया। मौके पर ही समस्याओं का समाधान पाकर दूर-दराज से आए आवेदकों के चेहरों पर संतोष देखा गया। इस जनसुनवाई में महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों को सर्वोपरि रखा गया। पहुंचे हुए आवेदनों में महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए एसपी महोदय ने संबंधित थाना प्रभारियों को कडे निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुडे हर मामले में पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और त्वरित वैधानिक कार्रवाई में कोई कोताही न हो। जिन शिकायतों का मौके पर निपटारा नहीं हो सका, उन्हें तुरंत संबंधित थाना व चैकी प्रभारियों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। एसपी ने स्पष्ट शब्दों में सभी प्रभारियों को कडा रुख अपनाते हुए निर्देशित किया है कि लंबित आवेदनों की जांच पूरी तरह पारदर्शी हो और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर पीडितों को न्याय दिलाया जाए।

थांदला जनसुनवाई में 119 आवेदनों पर सुनवाई

कलेक्टर ने दिए निराकरण के निर्देश

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा मंगलवार को थांदला में विकासखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए, जिन पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई में ग्राम परवाडा के धोबडी फलिया के ग्रामीणों ने धोबडी फलिया से लिमडी फलिया स्कूल तक लगभग एक किलोमीटर मार्ग पर पक्की सडक नहीं होने की समस्या बताई। ग्रामीणों ने बताया कि मार्ग अत्यंत खराब स्थिति में है, जिससे वाहन आवागमन बाधित होता है तथा बच्चों को स्कूल आने-जाने में परेशानी का सामना करना पडता है। बारिश के समय सडक पर कीचड एवं पानी भर जाने से मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। इस पर कलेक्टर ने जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने तथा आवेदकों को सूचित करने के निर्देश दिए। गांधी चैक थांदला निवासी श्री रणछोडलाल पिता रामचंद्र चिकलीगर एवं श्रीमती शारदा पति रणछोडलाल चिकलीगर ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन प्रारंभ करने तथा दोनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए।

ग्राम भेरूपाडा निवासी श्री कलसिंह माल ने आवेदन देकर बताया कि ग्राम की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 650 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे आम लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। साथ ही उक्त भूमि पर स्वीकृत सडक निर्माण कार्य भी बाधित किया जा रहा है। उन्होंने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर सडक निर्माण प्रारंभ कराने की मांग की। ग्राम रुंडीपाडा निवासी श्री कालू भावचंद डामोर ने खाद्यान्न पर्ची चालू करवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज ग्राम पंचायत सचिव को जमा कराने के बावजूद खाद्यान्न पर्ची प्रारंभ नहीं की गई है, जिससे परिवार को राशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ग्राम तलावली के ग्रामीणों ने खाली फलिया में गंभीर पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि दो फलियों के लोगों को लगभग दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड रहा है तथा गांव के हैंडपंप सूख चुके हैं अथवा खराब पडे हैं। ग्रामीणों ने सुरमल पिता सकरिया वसुनिया के घर के सामने मुख्य मार्ग पर नए हैंडपंप खनन की मांग की। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ग्राम सेमलिया मुणिया फलिया के ग्रामीणों ने गांव में पेयजल, सडक एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी की समस्या बताई। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के मौसम में मार्ग नहीं होने से आवागमन में अत्यधिक परेशानी होती है तथा गांव में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थांदला अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों (डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं मल्टी स्किल ग्रुप-डी) ने आवेदन देकर बताया कि उन्हें पिछले चार से पांच माह से मानदेय प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सात दिवस में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

हितलाभ वितरण

जनसुनवाई के दौरान लाड़ली लक्ष्मी योजना अंतर्गत कुमारी सोनाक्षी चैहान को आश्वासन पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक आयु के दो हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा तीन हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। थांदला में आयोजित जनसुनवाई में कुल 119 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी एवं संयुक्त कलेक्टर श्री विजय कुमार मंडलोई द्वारा आयोजित जनसुनवाई में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र सिंह चैहान, सहायक कलेक्टर सुश्री आयुषी बंसल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला भास्कर गाचले, डिप्टी कलेक्टर महेश बडोले, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रीतिका पाटीदार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एमआरपी से अधिक वसूलने पर नापतौल विभाग की कार्यवाही

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

आज एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की सूचना प्राप्त होने पर नापतौल विभाग द्वारा ग्राम पारा के बोरी रोड स्थित महांकाल मेगा स्टोर पर एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकार भेजा गया जिसके द्वारा कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी गई जिस पर एमआरपी 35 अंकित थी दुकानदार से पूछने पर बोतल की कीमत 50 ली गई। इसके पश्चात सूचना सही पाए जाने पर नापतौल निरीक्षक कपिल कदम के द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम अंतर्गत संबंधित विक्रेता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

ठंडा के नाम पर लिया जा रहा चार्ज

नापतौल निरीक्षक द्वारा विक्रेता से पूछने पर उसने बताया कि कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए अलग से राशि ली जा रही है इसके पश्चात विभाग द्वारा उसे समझाइश देते हुए निर्देशित किया की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) के तहत सभी प्रकार के शुल्क सम्मिलित किए जाते हैं अतः कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के नाम पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जा सकता। अतः सभी विक्रेता भविष्य में इन निर्देशों का पालन करते हुए किसी भी ग्राहक को कोई भी सामग्री डत्त से अधिक मूल्य पर विक्रय नहीं करें।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्रामों में विविध कार्यक्रम आयोजित

भानपुरा । मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में विकासखंड भानपुरा के सेक्टर क्रमांक एक नावली अंतर्गत ग्राम नावली, गांधीसागर, छोटी कोठडी, बड़ोदिया एवं पीपल्दा, मड्डनखेड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलश यात्रा, श्रमदान, स्वच्छता अभियान, जल स्रोत पूजन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में ग्रामीणों एवं मातृशक्ति ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में ब्लॉक समन्वयक मुकेश सोलंकी ने जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। वहीं रामप्रसाद मीणा ने जल बचाने एवं जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा दी।

चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण, कुल 29 नमूने जांच में लिये

संभागीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा आज पारा के ग्रामीण क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर कुल 29 नमूने जांच में लिये गये जिसमें मुख्य रूप से मसालों एवं दाल के नमूने मौके पर ही परीक्षण किये गए । इसके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा द्वारा दुकानों एवं पबम सवससल (पेप्सी) निर्माण इकाई का निरीक्षण कर कुल 7 नमूने जांच में लिये गये है। जिन्हें राज्य की शासकीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को भेजा जा रहा है। टीम के द्वारा ग्राम रजला की जोहरअली किराना दुकान से कुल 34.8 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया की कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा मिलावट के खिलाफ आगामी माह में भी कार्यवाही प्रभावी रुप से जारी रहेगी। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा, वेलसिंह मोरी, नापतौल निरीक्षक कपिल कदम एवं श्रम सहायक संजय पंचाल उपस्थित रहे।

सौगात — माही नहर के विशेष मरम्मत कार्य हेतु 16.68 करोड रुपये की स्वीकृति

नहरों के सुदृढ़ीकरण से अंतिम छोर तक पहुंचेगा पानी

● झाबुआ / राज न्यूज नेटवर्क

पेटलावद क्षेत्र के किसानों के लिए बडी राहत और खुशखबरी सामने आई है। मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा माही परियोजना की नहरों के विशेष मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य के लिए 1668.35 लाख रुपये (16 करोड 68 लाख 35 हजार रुपये) की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृति से पेटलावद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी तथा किसानों को समय पर और पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध हो सकेगा।माही मुख्य नहर शाखा एवं उससे जुडी सहायक नहरों के विशेष मरम्मत कार्य के अंतर्गत मुख्य नहर के सुधार, वितरिका (डिस्ट्रीब्यूटरी) नहरों के जीर्णोद्धार तथा किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने वाली माइनर एवं सब-माइनर नहरों की मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के पूर्ण होने से नहरों में पानी की बर्बादी रुकेगी तथा अंतिम छोर तक सिंचाई जल पहुंचाना संभव हो सकेगा। मइस महत्वपूर्ण परियोजना को धरातल पर उतारने में पूर्व सांसद स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्तमान में परियोजना की नहरों की कुल लंबाई 284 किलोमीटर है, जिससे पेटलावद क्षेत्र के 19 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है।

परियोजना क्षेत्र की जीवनरेखा

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने इस स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि माही परियोजना क्षेत्र के किसानों की जीवनरेखा है। लंबे समय से किसान नहरों के क्षतिग्रस्त होने तथा अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच पाने की समस्या से परेशान थे। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन स्तर पर विशेष मरम्मत कार्य की मांग लगातार उठाई गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा 16 करोड 68 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान किया जाना क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से नहरों का कायाकल्प होगा, पानी की बर्बादी रुकेगी तथा किसानों के खेतों तक पर्याप्त सिंचाई जल पहुंचेगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा आरओएसएआरबी
इम्पीरियल मॉल, द्वितीय तल, 80 फिट रोड,
हनुमान ताल के पास, रतलाम - 457001 (म.प्र.) फोन : 7880142895

SCAN HERE For detailed terms & conditions.

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6), 9(1) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6), 9(1) के परन्तुक के साथ पठित

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं), बंधककर्ता(ओं) तथा जमानतदार (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर/सुरक्षित संपत्ति/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है -

ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण यदि कोई ज्ञात भार हो श्री अरविन्द नायक पुत्र मोतीसिंह नायक द्वारा बंधीकृत)	कुल बकाया	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड बढ़ाने की राशि	सांकेतिक/ भौतिक कब्जे की स्थिति	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय
ऋणी- **श्री अरविन्द नायक** पुत्र मोतीसिंह नायक सहऋणी- (1) श्रीमती संगीता नायक पत्नि अरविंद नायक (2) श्री मोतीसिंह नायक पुत्र नवलसिंह नायक सभी का पताः मकान नं. 37, सजीली सूराजी मोगाजी सेठ, आजाद मोहाल सजीली, तहसील मेघनगर, जिला- झाबुआ पिन- 457777 (म.प्र.)	बंधक संपत्ति मकान स्थित प.ह.नं. 08/33 वार्ड नं. नया-01 (शास्त्री कॉलोनी), प्लॉट क्रमांक-55, सर्वे क्रमांक 543/मिन-50, कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट, थांदला, तहसील थांदला, जिला झाबुआ पिन 457777 (म.प्र.) चर्तुसीमाएंः पूर्व- प्लॉट क्रमांक 54, पश्चिम- प्लॉट क्रमांक 56 उत्तर- श्री मोतीसिंह नायक पुत्र नवलसिंह नायक का पब्लिक रोड, दक्षिण- अन्य प्लॉट	₹ 33,60,128.27 +दिनांक 01.12.2024 से देय ब्याज एवं अन्य खर्च	ई-नीलामी की दिनांक 07/07/2026 ई-नीलामी का समय दोपहर 2.00 बजे से 6.00बजे तक	₹ 39,20,000/- / ₹ 3,92,000/- / ₹ 10,000/-	भौतिक कब्जा	04/07/2026 दोपहर 12.00 बजे से 4.00 बजे तक

विक्रय की विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.in और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल Baanknet.com. देखें।
इसके अलावा, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइलः 7880142895 पर संपर्क कर सकते हैं।
तारीख : 25.05.2025, स्थानः रतलाम
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा